

उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय  
1-राजविहार चकरातारोड़, देहरादून।

पत्र सं. 1080/एच0क्यू0/संचालन-किराया/चार्टड बस/2013

दिनांक: 15 जुलाई-2013

- 1-समस्त मण्डलीय प्रबन्धक(संचालन)
  - 2-समस्त मण्डलीय प्रबन्धक(तकनीकी)
  - 3-समस्त सहायक महाप्रबन्धक(वित्त)
  - 4-समस्त सहायक महाप्रबन्धक(संचालन)
- उत्तराखण्ड परिवहन निगम डिपो।

विषय:-उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों को शादी/ब्याह एवं अन्य कार्य हेतु ठेके पर दिये जाने के सम्बन्ध में किराया निर्धारण।

आप अवगत है कि इस कार्यालय के परिपत्र पत्र सं.4763/एच0क्यू0/ वित्त/ किराया/ 2013 दिनांक: 11मई-2013 से परिवहन निगम की यात्री बसों के किराया में वृद्धि की जा चुकी है। ठेका गाड़ियों (चार्टर) की किराया दरें पूर्व में पत्र सं.1305/नि0मु0/ लेखा/ संचालन-किराया/ चार्टड बस/ 12 दिनांक:29मई-2012 के अनुसार निर्धारित की गयी थी।

उक्त के कम में निगम बसों के किराया में वृद्धि के फलस्वरूप उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा ठेका गाड़ियों की किराया दरों को दिनांक:11-07-2013 से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। ठेका गाड़ियों का किराया संशोधन उपरान्त निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है:-

मैदानी मार्ग की दरें।

89पैसे प्रतिकि0मी0 प्रति सीट पर एफ0सी0आई0(यात्रीकर सहित) 46.28

पर्वतीय मार्ग की दरें।

142.40पैसे प्रति कि0मी0 प्रति सीट पर एफ0सी0आई0(यात्रीकर सहित) 48.42


1-बुकिंग 24 घंटे (कार्यशाला से कार्यशाला) की जायेगी। 24 घण्टे के बाद प्रतीक्षा भाडा मैदानी क्षेत्र में रु. 2314.00प्रति घण्टे की दर से, पर्वतीय क्षेत्र में रु. 1211.00 प्रतिघण्टे की दर से, मिश्रित क्षेत्र में वास्तविक आधार पर प्रति घण्टे की दर से गणना की जायेगी। 8 घण्टे की अधिकतम सीमा तक अतिरिक्त चार्ज किया जायेगा।

2-न्यूनतम कि0मी0 प्रतिदिन की सीमा पूर्णतया मैदानी मार्ग हेतु 400 कि0मी0, पर्वतीय एवं मैदानी (मिश्रित मार्ग) हेतु 300 कि0मी0, पूर्णतया पर्वतीय मार्ग हेतु 200 कि0मी0। उपरोक्त के अतिरिक्त यात्री सुविधा, यात्री दुर्घटना निधि, टोल टैक्स आदि नियमानुसार चार्ज किया जायेगा।

3-उक्त बुकिंग हेतु 3.00लाख कि0मी0 से अधिक आयु वाले बसें दी जायेंगी।

...2...

श्री स्वाशिक  
16/7





4-उक्त व्यवस्था शादी-विवाहों, एवं सामाजिक कार्यक्रमों आदि किसी भी कार्य के लिए चाहें " Law & Order" ही क्यों न हो, उपरोक्त वर्णित दरें ही लागू होंगी।

कृपया परिवहन निगम की यात्री बसों को उपरोक्त शर्तों के अधीन ठेके पर देना सुनिश्चित करें।

(मुकेश सिंह)  
उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)  
निगम मुख्यालय।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-वैयक्तिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम को महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- 2-समस्त अधिकारी निगम मुख्यालय। A.M (0)
- 3-प्रभारी सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, निगम मुख्यालय देहरादून।

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)  
निगम मुख्यालय।

